

18/09/24

पत्रा. पेश हुई। वकील पार्थी उप.। पार्थना - पत्रा के  
मूलवाद 10/2024 रा. वा. डिफ़ी ट्रेजने से  
उक्त पार्थना - पत्रा - चलाये जाने की आवश्यकता  
मझे होने से पार्थना - पत्रा इसी स्तर पर  
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल सुमर होकर नम्बर से कम  
की जाकर दाखिल दफ़तर हो।  
निर्णय शुके न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम  
जिला सलूम